

D-19-6919 CGN

117

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25

सेक्टर 31 ए

घण्टीमढ़-160030

दिनांक 27.01.2017

फाईल नम्बर: 9-HRB014/2017-CHA

सेवा में

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ सी)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

हरियाणा सरकार,

C-18, वन भवन, सेक्टर 6,

पंचकुला हरियाणा।

विषय:- Diversion of 0.035752 ha of forest land for access to CNg filling station along Gurgaon-Alwar road, KM. 17-18, R/s at village Alipur, under Forest Division and District Gurgaon, Haryana.

संदर्भ:- 1. नोडल आफिसर के पत्र संख्या दिनांक प्रशा-तीन-6919/3636 दिनांक 17.01.2017. महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.035752 hec. वन भूमि की मांग की गई है।

- 2 कृपया इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक जानकारी भेजने का कष्ट करें।
 - i) Distance from nearest petrol pump on either side.
 - ii) Distance from Toll barrier/state boundary.
 - iii) The KML file and geo referenced digital map of the area proposed for CA uploaded online at column 13 (i) and (ii) of Part II is not correct. KML file and DGPS map of CA may be uploaded giving geo-coordinates at all corner points in shape file alongwith hard copy of original digital map signed by DFO.
 - iv) Original copy of FRA certificate be uploaded as additional document in part I online.
 - v) As per hard copy of proposal, 2 trees are proposed to be felled but in online Part II para 4, number of trees is shown as nil.

3 ऊपर की गई पूछताछ का जवाब इस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(Handwritten Signature)

(सोम दत्त शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Divisional Forest Officer, Forest Division & Distt.Gurgaon, Haryana.
2. M/s Dhandha Expeorts along Manoharpur to Brahkalan road, L/s at village Brahkalan,

Jind

पुठकाक 3883-84
कॉम 8-2-2017
एक डाक South Gurgaon / DFO Gurgaon को
अवकाशिका के लिए भेजा

(Handwritten Signature)
Nodal Officer & Conservator of Forests (FC)
O/o Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

115

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6919/

3636

दिनांक: 17-1-17

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.035752 ha. of forest land for access to CNG Filling Station along Gurugram-Alwar road, km. 17-18, R/side, at Village Alipur, under forest division and District Gurugram, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/21736/2016

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम द्वारा Sh. Amit Yadav, VPO Wazirabad, Sector 52, Gurugram के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है जो कि अनुमोदन उपरान्त आपको सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है । प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है । इस प्रस्ताव में 0.035752 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 2 वृक्ष बाधक हैं जो कटवाए जाने हैं । यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है ।

प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार 83600/- रुपये प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज, 31712/- रुपये नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड, 336/- रुपये फैलिंग चार्जिज व 3469/- रुपये exigency charges कुल 119117/- रुपये की राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजैन्सी से केम्पा के लेखा में जमा करवाई जाएगी । इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से रायपुर आरक्षित वन में 72 पौधे लगवाए जाएंगे । इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है ।

अतः उक्त प्रस्ताव की प्रति संलग्न भेजकर अनुरोध है कि इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

28
14/01/17
11-1-17
2017